है और सब प्रान्तों को अखित्यार है कि वह उनको हर तरह से मदद पहुंचाये। इसके लिये हर प्रान्त में कमेटी बनी हुई है। आपको मालूम होना चाहिये कि पिछली सरकार ने भी इसके लिये एक कमेटी बनाई है और हर प्रान्तीय सरकार आई० एन० ए० वालों को हर तरह से मदद पहुंचा रही है। हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट की यह पालिसी (policy) है कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में कष्ट उठाया है, चाहे वह किसी पार्टी के हों, सोशलिस्ट (Socialist) हों, कम्युनिस्ट (Communist) हों हर एक को सहायता दी जायेगा। मुख्तलिफ प्रदेशों में इस तरह के लोगों को साहयता पहुंचाने के लिये कमेटियां बनी हुई हैं और इस तरह के लोगों की मदद पहुंचाई जाती रहती हैं। मैं इस बारे में आपके सामने मिसालें बतला सकता हूं कि किस तरह से आई० एन० ए० और दूसरे लोगों को सहायता पहुंचाई जा रही है। यू० पी० में १० एकड़.......

[For English translation, see Appendix III, Annexure No 70.]

(*Time bill rings.*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The Secretary will read out a message from the House of the Peo ple.

MESSAGE FROM THE HOUSE OF THE PEOPLE

THE CONSTITUTION (SECOND AMENDMENT) BILL, 1952

SECRETARY : I have to report to the Council the following message received from the House of the People signed by the Secretary to the House :

In accordance with the provisions of rule 115 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House of the People, I am directed to enclose herewith a copy of the Constitution (Second Amendment) Bill, 1952, as amended by the Selec Committee, which has been passed by the House at its sitting held on the 15th December 1952.

Sir, I lay the Bill on the Table.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 10 A.M. tomorrow.

The Council then adjourned till ten ofthe clock on Tuesday, the 16th December 1952.